**फर्द अहकाम**

**(नियम 26)**

# न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

| **प्रार्थी / अपीलांट** | **बनाम** | **अप्रार्थी / रेस्पोडेन्ट** |
|---|---|---|
| श्री अगराराम पुत्र श्री गोलाराम<br>जाति मेघवाल निवासी लूणोल<br>तहसील रेवदर<br>जिला सिरोही। | | सरकार जरिये लोक सूचना अधिकारी<br>जिला रसद अधिकारी, सिरोही |

किस्म मुकदमा– **अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005** मुकदमा नं.33 वर्ष 2026

| दिनांक हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज | नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए |
|---|---|---|
| 23.03.2026 | अपीलांट ने यह प्रथम अपील रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नही कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई। अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। अपीलांट द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया हैं कि उसके द्वारा लोक सूचना अधिकारी जिला रसद अधिकारी सिरोही को एक आवेदन दिनांक 13.01.2026 को प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अपीलांट द्वारा दिनांक 11.07.2025 को प्रस्तुत किए गए उचित मूल्य की दुकान हेतु आवेदन की प्राप्ति विवरण, रसीद संख्या, आवेदन की स्थिति उपलब्ध करवाई जावे तथा उक्त आवेदन पर विभाग द्वारा की गई समस्त कार्यवाही की नोटशीट / फाईल अभिलेख की प्रमाणित प्रति एवं सम्बन्धित क्षेत्र / ग्राम / वार्ड से उचित मूल्य की दुकान के नए आवंटन हेतु निर्धारित पात्रता मानदंड, शर्तें एवं नियमावली की प्रति उपलब्ध करावें तथा उक्त आवंटन प्रक्रिया में कुल कितने आवेदन प्राप्त हुए, उनकी सूची तथा प्रत्येक आवेदन की जांच रिपोर्ट तथा जिस आवेदक को उचित मूल्य की दुकान आवंटित हुई, उसका नाम पता, आवेदन संख्या, पात्रता / योग्यता अंक चयन हेतु अपनाए गए मानदण्ड तथा चयन के अनुमोदन आदेश की प्रमाणित प्रति तथा शेष आवेदन के निरस्त करने का कारण, सम्बन्धित अधिकारी की टिप्पणी एवं निरस्तीकरण आदेश की प्रति तथा एफपीएस आवंटन हेतु गठित स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक कार्यवाही की प्रति से सम्बन्धित सूचना लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था। किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नही कराई गई हैं।<br><br>मैने पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया गया कि अपीलांट द्वारा निर्धारित शुल्क रूपये 10/– जमा करा दिए है। अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। अपीलांट द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया हैं कि उसके द्वारा लोक सूचना अधिकारी जिला रसद अधिकारी सिरोही को एक आवेदन दिनांक 13.01.2026 को प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अपीलांट द्वारा दिनांक 11.07.2025 को प्रस्तुत किए गए उचित मूल्य की दुकान हेतु आवेदन की प्राप्ति विवरण, रसीद संख्या, आवेदन की स्थिति उपलब्ध करवाई जावे तथा उक्त आवेदन पर विभाग द्वारा की गई समस्त कार्यवाही की नोटशीट / फाईल अभिलेख की प्रमाणित प्रति एवं सम्बन्धित क्षेत्र / ग्राम / वार्ड से उचित मूल्य की दुकान के नए आवंटन हेतु निर्धारित पात्रता मानदंड, शर्तें एवं नियमावली की प्रति उपलब्ध करावें तथा उक्त आवंटन प्रक्रिया में कुल कितने आवेदन प्राप्त हुए, उनकी सूची तथा प्रत्येक आवेदन की जांच रिपोर्ट तथा जिस आवेदक को उचित मूल्य की दुकान आवंटित हुई, उसका नाम पता, आवेदन संख्या, पात्रता / योग्यता अंक चयन हेतु अपनाए गए मानदण्ड तथा चयन के अनुमोदन आदेश की प्रमाणित प्रति तथा शेष आवेदन के निरस्त करने का कारण, सम्बन्धित अधिकारी की टिप्पणी एवं निरस्तीकरण आदेश की प्रति तथा एफपीएस आवंटन हेतु गठित स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक कार्यवाही की प्रति से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध करवाई जावे। पत्रावली के अवलोकन से यह पाया जाता है कि अपीलांट द्वारा मांगी गई उपरोक्त सूचना के सम्बन्ध में लोक सूचना अधिकारी जिला रसद अधिकारी सिरोही द्वारा जरिए पत्र क्रमांक / रसद / आर.टी.आई. / 2025 / 1461 दिनांक 12.02.2026 के द्वारा सूचित कर दिया गया है। अतः ऐसी स्थिति में अपीलांट की अपील खारिज की जाती है। निर्णय सर–ए–इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।<br><br>(अल्पा चौधरी)<br>**जिला कलक्टर, सिरोही** | |